न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा
जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :– भवानी सिंह, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः– 40/2020

प्रार्थीगण	**बनाम**	**अप्रार्थी**
1. कुमाराम पुत्र स्व. श्री मंगलाराम 2. श्रीमती शान्ति पत्नी श्री कुमाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बीनावास, तहसील बिलाड़ा जिला जोधपुर राज.		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा जिला जोधपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

– – – – –

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता
अप्रार्थी सरकारी पैरोकार

:: आदेश :: **दिनांक**

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिनावास तहसील बिलाडा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नं. 146 रकबा 0.0081 हैक्टेयर, खसरा सं. 147 रकबा 0.2184 हैक्टेयर, खसरा सं. 148 रकबा 6.3102 हैक्टेयर आई हुई है। उपरोक्त खसरान की कृषि भूमि में खातेदार गुटकी पत्नि श्री नैनाराम व हेमाराम पुत्र श्री नैनाराम जातियान जाट निवासीगण ग्राम बिनावास का पूर्व में 1/4 हिस्सा दर्ज था। जिसके संबंध में जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 तक की नकल प्रार्थना पत्र के साथ पे"ा है। खातेदार गुटकी व हेमाराम द्वारा अपना 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 08/10/1999 द्वारा प्रार्थीगण के पुत्र पप्पूराम को व प्रार्थी सं.2 को बैचान कर दिया। प्रार्थीगण के पुत्र पप्पूराम का स्व. दिनांक 17.05.2006 को हो चुका है। जो कुंवारा ही फौत हुआ। स्व. पप्पूराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान प्रार्थीगण ही है। प्रार्थीगण के अलावा स्व. पप्पूराम का अन्य कोई वारिसान नहीं है। खातेदार गुटकी का भी स्वर्गवास आज से लगभग 17 वर्ष पूर्व हो चुका है। उपरोक्त रजिस्टर्ड बैचाननामा के आधार पर म्यटे"ान सं. 546 सरपंच ग्राम पंचायत चान्देलाव द्वारा स्वीकृत किया गया। म्यूटे"ान सं. 546 का नोट जमाबन्दी सं. 2054 से 2057 में अंकित किया गया तथा प्रार्थी सं. 2 व प्रार्थीगण के पुत्र पप्पूराम का नाम उक्त

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:55 IST
Reason: SelfAttested

म्यूटे"ान के जरिये बतौर खातेदार के रूप में जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 में दर्ज किया गया। संवत्2054 से 2057 के बाद की जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 की खतौनी के समय हल्का पटवारी द्वारा लिपिकीय त्रुटिव"ा व भूलव"ा प्रार्थी सं. 2 व प्रार्थीगण के पुत्र पप्पूराम के स्थान पर पुनः बैचानकर्ता हेमाराम व गुटकीदेवी का नाम जमाबन्दी संवत् 2068 से 2071 में लिख दिया। जिसकी वजह से चालू जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में भी उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि अनुसार इन्द्राज किया गया यानि चालू जमाबन्दी सं. 2074 से 2077 में भी प्रार्थी सं.2 व प्रार्थीगण के पुत्र पप्पूराम के स्थान पर बैचानकर्ता गुटकीदेवी व हेमाराम का नाम लिख दिया गया। इस प्रकार उपरोक्त लिपिकीय त्रुटि राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में संवत् 2068 से लेकर आज दिन तक दर्ज चली आ रही है। इसलिये उक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्व किया जाना आव"यक है। इस हेतु यह प्रार्थना पत्र श्रीमान के समक्ष पे"ा है।हलका पटवारी द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि के कारण प्रार्थी सं. 2 उसकी व उसके स्वर्गीय पुत्र पप्पूराम की खरीदसुदा व खातेदारी भूमि के संबंध में राज्य सरकार द्वारा मिलने सुविधाओं को प्राप्त करने व अन्य समस्त सुविधाओं को प्राप्त करने हेतु काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तथा स्व. पप्पूराम का फौतदारी म्यूटे"ान भी प्रार्थीगण द्वारा अपने नाम दर्ज करवाना असंभव हो गया है। इसी प्रकार हलका पटवारी द्वारा की गई लिपिकीय त्रुटि शुद्व किये जाने से बैचानकर्ता हेमाराम कोई उजर व ऐतराज नहीं है। अपितु हेमाराम उक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध करवाने हेतु सहमत है इस हेतु हेमाराम द्वारा अपना सहमति पत्र भी प्रार्थी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया है। जो प्रार्थना पत्र के साथ पे"ा है। इसके अलावा उक्त लिपिकीय त्रुटि को शुद्ध किये जाने से उपरोक्त खसरान की भूमि के दर्ज अन्य सहखातेदार के हक व हिस्से की भूमि पर किसी भी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा व न ही उनके हक व हिस्से प्रभावित होगे।

अन्त में प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पे"ा कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटिव"ा दर्ज नाम गुटकी पत्नी नैनाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट व हेमाराम पुत्र नैनाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट के स्थान पर श्रीमति शान्ति पत्नी कुमाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट व पप्पूराम पुत्र कुमाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट शुद्ध किये जाने का आदे"ा फरमावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:55 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया, अप्रार्थी को नोटिस जारी किय गय। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। जिन्होने अपना जवाब पे”ा किया, जिसे शामिल मिसल कराया गया जो जवाब इस आधार का पे”ा किया कि प्रार्थीगण की ग्राम बिनावास के खसरा नं. 146 रकबा 0.0081, खसरा नं.147 रकबा 0.2184 हैक्टेयर,खसरा नं.148 रकबा 6.3102 हैक्टेयर आई हुई है जो पूर्व में गुटकी पत्नी नैनाराम व हमाराम पुत्र नैनाराम के नाम दर्ज थी। जिसमें इनका 1/4 हिस्सा दर्ज था। दिनांक 08.10.1999 में खातेदार गुटकी व हेमाराम द्वारा अपना 1/4 हिस्सा रजि. बैचान के जरिये (1) पप्पूराम पुत्र कुमाराम (2) शांति पत्नि कुमाराम ने नाम करवा दिया। जिसका कि नामा.सं.546 भरा गया है। जिसका इन्द्राज जमाबन्दी चौसाला 2054 से 2057 तक में हुआ है। नई जमाबन्दी 2068 से 2071 तैयार करते समय लिपिकीय भूलव”ा 1/4 हिस्सा पुनः बैचानकर्ता के नाम दर्ज हो गया जो गलत प्रविष्टि है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र के पद सं. 1 में वर्णित खसरान की भूमि के राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में लिपिकीय त्रुटिव”ा दर्ज नाम गुटकी पत्नी नैनाराम 1/8 हिस्सा व हेमाराम पुत्र नैनाराम 1/8 हिस्सा जाति जाट के स्थान पर श्रीमति शांति पत्नि कुमाराम 1/8 हिस्सा जाति जाट व पप्पूराम पुत्र कुमाराम 1/8 जाति जाट की शुद्धि की जाति है। तो भूमिधारी तहसीलदार बिलाडा को कोई आपति नही है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी, प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराया ओर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रेकर्ड दुरूस्ती का निवेदन किया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार ने जवाब के तथ्यो को दोहराया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 08.10.1999 के अनुसार गुटकी पत्नी नेनाराम, हेमाराम पुत्र नेनाराम जातियान जाट द्वारा अपने 1/4 हिस्से की भूमि श्रीमती शांति पत्नी कुमाराम (प्रार्थी संख्या 2) व पप्पूराम पुत्र कुमाराम जातियान जाट को बैचान कर दी। उक्त बैचाननामा के आधार पर म्यूटे”ान सख्या 546 स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी संवत् 2054 से 2057 में उक्त हिस्से की भूमि शांति व पप्पूराम के नाम दर्ज की गयी। इसके बाद आगे की जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 के खतौनी के समय लिपिकीय त्रुटीव”ा पुनः बैचानकर्ता गुटकी व हेमाराम का नाम लिख दिया गया। जो लिपिकीय त्रुटी वर्तमान में चालु जमाबन्दी में भी दर्ज है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:55 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त करन की अनु”ांषा की है। इसलिए उपरोक्त लिपिकीय त्रुटी को दुरूस्त किया जाना उचित है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को आदे”ा दिया जाता है कि चालु जमाबन्दी संवत् 2074 से 2077 में दर्ज अ”ाुद्ध इन्द्राज गुटकी पत्नी नेनाराम हिस्सा 1/8 व हेमाराम पुत्र नेनाराम हिस्सा 1/8 के स्थान पर शुद्ध इन्द्राज श्रीमती शांति पत्नी कुमाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट व पप्पूराम पुत्र कुमाराम हिस्सा 1/8 जाति जाट दर्ज किया जावे। पत्रावली फैसललशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

आदे”ा आज दिनांक   को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(भवानी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhawani Singh
Date: 2021.08.02 13:14:55 IST
Reason: SelfAttested